भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान – 304501

क्रमांक : 6(386)एसपी / 2018 / 1378 दिनांक 01.08.2018

निमित्त,

मै0 गुलाब देवी
इन्दिरा कॉलोनी, मालपुरा
जिला टोंक, राजस्थान – 304502

विषय : संस्थान के पशु पोषण विभाग के अन्तर्गत प्रयोगात्मक इकाई ब्लाक 12 (पशु पोषण सेक्टर के पीछे) पर करवाये जाने वाले कृषि से सम्बन्धित समस्त कार्य वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करवाने बाबत।

संदर्भ : आपकी ई–निविदा क्रमांक 1182086 दिनांक 15.06.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत ई–निविदा क्रमांक 1182086 दिनांक 15.06.2018 में प्रस्तुत दर रूपये 315650.00 वार्षिक सभी करों एवं खर्चो सहित को सक्षम अधिकारी महोदय ने स्वीकार कर लिया है। अतः निम्न लिखित नियम व शर्तो के आधार पर आपको अनुबन्ध आदेश जारी किया जाता है–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य	दर प्रति इकाई	कुल खर्च
1.	प्रायोगिक प्रक्षेत्र में झाडियों एवं अवांछित सुखे पेड़ों की कटाई, छंगाई एवं सफाई करना।	7 हैक्टर	4750.00	33250.00
2.	प्रक्षेत्र में एम. बी. प्लो तीन बार गहरी जुताई करवाकर झाड़ों की जडों को एकत्रित कर प्रक्षेत्र को झाड़ रहित करना। एम. बी. प्लो व ट्रेक्टर अनुबन्धकर्ता को लाना होगा।	7 हैक्टर	3800.00	26600.00
3.	भेड़ों के बाड़ों से मैंगनी की खाद प्रायोगिक प्रक्षेत्र पर डालना तथा निर्देशानुसार समानरूप से बिखेरना। (ट्रेक्टर–ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।)	70 ट्राली	140.00	9800.00
4.	सेंक्रस व अन्य घास की बुवाई करना।	7 हैक्टर	2500.00	17500.00
5.	सेंक्रस घास की आवश्यकतानुसार निराई व गुड़ाई का कार्य करना।	14 हैक्टर	5800.00	81200.00
6.	सैंक्रस घास के बीजों को प्रजाति एवं पकने के अनुसार एकत्रित कर सुखाना तथा विभाग में जमा करवाना।	300 किग्रा.	76.00	22800.00
7.	घास व अन्य चारा फसलों को काटकर वांछित स्थान पर डालना एवं व्यवस्थित करना होगा। (ट्रेक्टर – ट्राली संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा)	7 हैक्टर	5000.00	35000.00
8.	लगाये नये पौधों के गड्ढों की मरम्मत करवाना, पौधों की आवश्यकतानुसार कटाई–छँटाई करवाना, वर्ष भर पानी पिलवाना लगे हुए पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा करना प्रक्षेत्र के चारो तरफ लगी हुयी फेन्सिंग की देखभाल करना।	300 पौधें	65.00	19500.00
9.	प्रक्षेत्र में नये पौधे लगवाने हेतु 2'X 2'X 2' साईज के गड्ढें खोदना, पौधे लगवाना, वर्ष भर पानी पिलवाना लगे हुए पौधों की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।	1000 पौधे	70.00	70000.00
			कुल व्यय सभी करों एवं खर्चो सहित	315650.00

अनुबन्ध की नियम व शर्ते :

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी, जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर सक्षम अधिकारी चाहे तो कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. उक्त कार्य के लिये काम में आने वाले औजार व मजदूर अनुबन्धकर्ता को उपलब्ध करवाना होगा। जुताई, बुआई व ढुलाई के लिये ट्रेक्टर संस्थान द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
3. उपरोक्त कृषि कार्य अध्यक्ष, पशु पोषण विभाग के निर्देशानुसार किसी भी ब्लॉक / सेक्टर में करवाया जा सकता है।
4. काटे गये सूखे चारे में अगर किसी तरह की मिलावट (खरपतवार) पायी गई तो सक्षम अधिकारी द्वारा जो भी निर्णय लिया जावेगा वह अनुबन्धकर्ता को स्वीकार्य करना होगा।
5. चारे को आवश्यकतानुसार वांछित एवं निर्देशित स्थानों पर ढेर लगाना, फसलों के अवशेष, घास, वृक्षों की पत्तियाँ इत्यादि भेड़ों के बाड़े पर डालना होगा।

6. क्यारियाँ–डोलियाँ बनाने, फफुँदीनाशक एवं अन्य रसायनों के छिड़कने एवं बुवाई से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य निर्धारित समय पर सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार पूरा करना होगा।
7. फसलों की निराई–गुडाई का कार्य सफाई से करना होगा तथा अनुबन्ध की अवधि के दौरान फसल पूर्ण रूप से खरपतवार रहित होनी चाहिए।
8. विभिन्न घासों के बीजों को एकत्रित करते समय घास की बालियों को नहीं तोड़े तथा एकत्रित किया हुआ बीज बिलकुल साफ एवं पक्का हुआ होना चाहिये। बीजों की तुलाई सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के समक्ष करनी होगी तथा तुलवाने की समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
9. विभिन्न प्रजाति की घासों एवं फसलों की कटाई सतह से 5 से 10 सेमी0 ऊँचाई से काटना होगा तथा सुखाकर सम्बन्धित भेड़ो के बाड़े पर डालकर ढेर लगाना होगा। विभिन्न फसलों इत्यादि का दाना निकाल कर अनुभाग में जमा करवाना होगा तथा चारे को भेडों के बाडे पर डालना होगा।
10. पौधों की छंगाई सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होगी।
11. अवांछनीय झाड़ियों की जडों को कम से कम 1 से 2 फीट कि गहराई तक खोदकर निकालना होगा।
12. वृक्षारोपण हेतु 2 फीट लम्बाई, 2 फीट चौड़ाई व 2 फीट गहराई आकार के गड्ढे खोदने होगें उनमें खाद एवं मिट्टी को अच्छी तरह से मिलाना होगा।
13. सक्षम अधिकारी चाहे तो किसी भी कार्य को परिस्थितिवश घटाया बढाया भी जा सकता हैं।
14. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब अध्यक्ष,पशु पोषण विभाग व उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्णता करने का प्रमाणित करेगे उसके बाद ही भुगतान किया जावेगा यदि कार्य दिये गये माप दण्डों के अनुसार पूर्ण नही किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार भूगतान किया जावेगा।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुसंधान कार्य एवं फसल चक्र पूरा होने तक प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद जमा करनी होगी अन्यथा उनके देय बिल से काट ली जावेगी ।
16. प्रयोगात्मक प्रक्षेत्रों की पूर्ण रखवाली एवं रखरखाव की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी । आवश्यकता होने पर रात्रि में फसलों की रखवाली स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी। रखवाली के दौरान बाहरी जानवरों द्वारा चारे को किसी प्रकार से नुकसान होता हैं तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रस्तुत देय बिल मे से की जावेगी। नुकसान का आकंलन सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा।
17. variation clause subject to force measure को देखते हुए प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत कम या 20 प्रतिशत अधिक होने पर कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा। परन्तु प्रस्ताव की तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से कम होने की दशा में, 20 प्रतिशत से कम हुई उत्पादन की मात्रा पर 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकती है। इसी तरह तय की गई निश्चित मात्रा से 20 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में 20 प्रतिशत से अधिक उत्पादन की मात्रा पर 90 प्रतिशत का ही भुगतान किया जावेगा।

    जैसेः यदि प्रस्ताव में उत्पादन की मात्रा 1000 क्विंटल रखी गई है यदि यह निर्धारित मात्रा 20 प्रतिशत कम उत्पादन होने पर अर्थात 800 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि इसकी उत्पादन मात्रा 800 से घटाकर 700 क्विंटल ही रह जाती है तो उस स्थिति में कम उत्पादन मात्रा 100 क्विंटल पर 10 प्रतिशत कम करके अर्थात 690 मात्रा का ही भुगतान अनुबंधकर्त्ता को किया जा सकेगा ।

    ठीक इसी तरह यदि निश्चित की गई उत्पादन मात्रा 1000 क्विंटल है 20 प्रतिशत अधिक मात्रा उत्पादित होने पर अनुबंधकर्त्ता को अर्थात 1200 क्विंटल तक कोई पेनल्टी क्लोज लागू नहीं होगा परन्तु यदि उत्पादित मात्रा 1200 से बढकर यदि 1400 क्विंटल हो जाने पर ऐसी स्थिति में 200 क्विंटल अधिक मात्रा पर 90 प्रतिशत मात्रा का ही भुगतान किया जावेगा। अर्थात कुल मात्रा 1380 क्विंटल का ही अनुबंधकर्त्ता को भुगतान देय होगा ।
18. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
19. अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
20. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर संस्थान के सक्षम अधिकारी द्वारा अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी। साथ ही भविष्य में कोई अनुबन्ध कार्य आवंटन नहीं किया जावेगा।
21. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
22. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जी.एस.टी./आयकर (G.S.T./Income Tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।
23. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
24. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर अध्यक्ष, पशु पोषण को प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।